न्यायालयः सिविल जज (जू0डि0), कालपी, जनपद जालौन।

मूलवाद सं0 138/2020

देवेन्द्र कुमार बनाम श्रीमती वन्दना

दिनांकः04.01.2021

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को वाद बिन्दु सं0 2 व 3 पर सुना गया।

निस्तारण वाद बिन्दु सं0–2

वाद बिन्दु सं0–2 इस आशय से विरचित किया गया है कि क्या वाद का मूल्यांकन कम किया गया है? इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध मुंसरिम आख्या का अवलोकन किया। मुंसरिम आख्या अनुसार वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय को प्राप्त है एवं प्रदत्त न्यायशुल्क पर्याप्त है।

चूंकि प्रस्तुत वाद स्थायी निषेधाज्ञा का है। विवादित आराजी कृषि भूमि है, प्रश्नगत भूमि का वार्षिक लगान मुब0 5 रूपए है, लगान के तीस गुना मुब0 150 रूपए वाद का मूल्यांकन निर्धारित किया गया है। प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे वाद का मूल्यांकन कम माना जा सके। अतः न्यायालय की राय में वाद का मूल्यांकन उचित किया गया है।

निस्तारण वाद बिन्दु सं0–3

वाद बिन्दु सं0–3 इस आशय से विरचित किया गया है कि क्या वाद में प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?

चूंकि वाद बिन्दु सं0–2 का निस्तारण करते हुये वाद का मूल्यांकन उचित माना गया है और वाद का मूल्यांकन के अनुसार ही न्यायशुल्क मुब0 23/–रूपये अदा किया गया है। अतः न्यायालय के राय में भी प्रदत्त न्यायाशुल्क पर्याप्त है।

पत्रावली वास्ते वादी साक्ष्य दिनांक 23.02.2020 को पेश हो।

सिविल जज (जू0डि0), कालपी,